

प्रधानमन्त्री आवास योजना

(शताब्दीनगर, लोहियानगर एवं सरायकाजी योजना)

के अन्तर्गत अनावंटित / निर्माणाधीन फ्लैट प्राप्त करने
की नियम एवं शर्तों की

विवरण पुस्तिका

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पंजीकरण अवधि दिनांक 16.7.2021 से 16.9.2023 तक

(विवरण पुस्तिका शुल्क रूपये 50/-)

प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित फ्लैट प्राप्त करने की नियम एवं शर्तों का विवरण—

1. योजना का नाम—

प्रधान मन्त्री आवास योजना

(1) शताब्दीनगर सेक्टर —एक

(2) लोहियानगर

(3) सराय काजी, गढ़ रोड़

2. योजना का कोड—

(1) शताब्दीनगर सेक्टर —एक01.....

(2) लोहियानगर02.....

(3) सराय काजी, गढ़ रोड़03.....

3. ग्राह्यता (पात्रता)—

3.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक वयस्क अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

3.30 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक की वार्षिक आय 3.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। फ्लैट्स का आवंटन डूंबा द्वारा चयनित आवेदकों के मध्य ही किया जायेगा। आवेदक को अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय के प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी जिसके संलग्न न पाये जाने अथवा निर्धारित आय सीमा से अधिक आय का प्रमाण पत्र पाएं जाने पर पंजीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

3.40 आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवयरक बच्चों के पास) के नाम से पूरे भारतवर्ष में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, सहकारी समिति इम्प्रूवमेन्ट

ट्रस्ट, किसी राजनीय निकाय आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भवन/भूखण्ड/अन्य भवन/भूखण्ड नहीं होना चाहिए। यदि सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् आवेदक के पक्ष में पहले उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति पायी जाती है तो आवेदक का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- 3.50 यदि आवेदक द्वारा उपर्युक्त संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से पंजीकरण कराया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं, किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा। यदि भविष्य में किसी आवेदक को एक से अधिक सम्पत्ति का आवंटन हो जाता है तो आवेदक को स्वेच्छा से किसी एक आवणित सम्पत्ति को छोड़कर शेष को सरेण्डर करना होगा।
- 3.60 यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को, आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को छोड़कर शेष सम्पत्तियों में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।

4. आवेदन कैसे करें—

- 4.10 आवेदन—पत्र केवल निर्धारित प्रारूप—पत्र जो विवरण पुस्तिका में संलग्न है, पर व रूपये 10/- का शपथ पत्र के साथ में ही लिया जायेगा। सभी श्रेणी के लिये पंजीकरण धनराशि रूपये—5,000/- (रु० पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, अथवा पै—आर्डर जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो अथवा पंजीकरण धनराशि की जमा की रसीद संलग्न न होने पर, आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने पर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय का प्रमाण पत्र संलग्न न पाये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति अथवा आधार कार्ड की स्व—प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदक को अपने बैंक खाते का नम्बर अंकित करना होगा।
- 4.20 आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर अपेक्षित पंजीकरण धनराशि सहित यथा विज्ञापित निर्धारित उस बैंक में जमा करना होगा, जिस बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है। डूड़ा में लाभार्थी पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना होगा।

- 4.30 आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पति—पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी।

(पंजीकरण धनराशि का विवरण संलग्नक एक में उल्लिखित है।)

5. आवंटन प्रक्रिया—

- 5.10 प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन छूंडा से कराया जायेगा। छूंडा द्वारा सत्यापित आवेदकों के मध्य मैनुअली प्रक्रिया द्वारा ड्रा निकालकर फ्लैट का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।

- 5.20 तालिका में उल्लिखित फ्लैट्स के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

- 5.30 आवंटन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

- 5.40 आवेदक द्वारा किसी कारणवश सम्पत्ति के लाटरी ड्रा से आवंटन पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने से पूर्व, आवंटन स्वीकार न कर जमा धनराशि की माँग किये जाने पर जमा आवेदन धनराशि 05 प्रतिशत कटौती के उपरान्त वापस की जायेगी।

- 5.50 आवंटी को फ्लैट के आवासीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटी द्वारा फ्लैट का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

6. वरीयता—

- 6.10 शासन द्वारा निर्गत वरीयता नीति के अनुसार आवंटन किया जायेगा। यदि वरीयता वर्ग में पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उपलब्ध फ्लैट्स/आवास अन्य वर्ग के पात्र के मध्य आवंटित कर दिये जायेंगे।

7. भुगतान प्रक्रिया—

- 7.10 इस योजनान्तर्गत फ्लैट की कीमत अंकन 4,50,000/- रुपये निर्धारित है जिसमें 1,50,000/- रुपये भारत सरकार का अंश तथा 1,00,000/- रुपये उत्तर प्रदेश सरकार का अंश है। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्तियों पर 2,50,000/- की छूट रहेगी तथा फ्लैट की शेष धनराशि रुपये 2,00,000/- तालिका संलग्नक—एक में उल्लिखित विवरण के अनुसार आवंटियों द्वारा वहन किया जायेगी।
- 7.20 फ्लैट की उपलब्धता, अनुमानित मूल्य, आवेदन राशि का विवरण पुस्तिका में संलग्न तालिका में दिया गया है। फ्लैट का आवंटन प्रधान मन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत लाटरी पद्धति से किया जायेगा। पंजीकरण धनराशि रुपये—5,000/- तथा आवंटन धनराशि रुपये—30,000/- आवंटन पत्र जारी दिनांक से एक माह के अन्दर तथा शेष धनराशि विवरण तालिका के अनुसार जमा करनी होगी।
- 7.30 भुगतान विधि तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार फ्लैट्स की कीमत में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि 9.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 5 वर्ष की 20 समान तिमाही किश्तों में देय होगी। विलम्ब की दशा में 13 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।
- 7.40 पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।
- 7.50 देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।

8. दण्ड ब्याज—

- 8.10 यदि मेरठ विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो बिलम्ब अवधि के लिये 13 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। फ्लैट की किश्तें आरम्भ हो जाने के पश्चात् न्यूनतम् 2 किश्तों की अदायगी समय से न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8.20 प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमा कर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं हुई हो।

9. कब्जा—

- 9.10 आवंटन पश्चात् आवंटी को फ्लैट का निर्माण एवं स्थलीय विकास पूर्ण होने के पश्चात् तदसमय तक देय सब्बाज किश्तों की धनराशि जमा करानी होगी, नियमानुसार फ्लैट में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट, पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट का “कब्जा अनुबन्ध” का पंजीयन कराने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा। कब्जा अनुबन्ध के निबन्धन के समय देय लिखाई-पढ़ाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा।
- 9.20 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्युनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना होगा।
- 9.30 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर लेगा।
- 9.40 यदि आवंटी द्वारा, विलेख के निष्पादन कराने के पश्चात् कब्जा नहीं लिया जाता है तो नियमानुसार रूपये 50/- प्रति माह की दर से आवंटी द्वारा चौकीदारा शुल्क देना होगा।
- 9.50 सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् समय-समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों/नियमों-उपनियमों आदि का अनुपालन आवंटी द्वारा करना होगा।

10. निबन्धन प्रक्रिया—

- 10.10 निर्मित फ्लैट का सम्पूर्ण मूल्य, नियमानुसार फ्लैट में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट, पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट का “फ्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख” का पंजीयन किया जायेगा। यदि फ्लैट का विलेख कराने से पूर्व “कब्जा अनुबन्ध” का पंजीयन आवंटी द्वारा कराया गया है तो कब्जा अनुबन्ध के समय वहन की स्टाम्प ड्यूटी को नियमानुसार “फ्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख” निष्पादन के समय देय स्टाम्प ड्यूटी में समायोजित किया जायेगा।

10.20 “फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख” आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

11. फ्लैट्स् का विवरण

अनावंटित फ्लैट्स् का विवरण वरीयता श्रेणीवार

क्रम	योजना का नाम	आवंटन हेतु अवशेष फ्लैट	वरीयता श्रेणी			
			अनु०जन०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	सामान्य
01	02	03	04	05	06	07
01	शताब्दी नगर सैकटर-01	10	07	01	02	—
02	लोहियानगर	08	03	02	—	03
03	सराय काजी, गढ़ रोड	76	12	—	—	64

यदि वरीयता श्रेणी के पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो किसी भी पात्र आवेदक को फ्लैट का आवंटन किया जायेगा।

फ्लैट्स् का कार्पेट एरिया (आच्छादित क्षेत्रफल) 22.77 वर्ग मीटर तथा एक यूनिट का सुपर एरिया 34.07 वर्ग मीटर होगा। फ्लैट्स् का डिजाइन संलग्न है। फ्लैट्स् का निर्माण भूतल+तीन मंजिल अर्थात् चार मंजिल तक किया जायेगा। इस योजना में फ्लैट्स् का क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।

12. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी—

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगा:—

- (अ) लाटरी से आवंटन होने से पूर्व जमा धनराशि की मूल रसीद पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना कटौती, बिना ब्याज वापस किया जायेगा और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- (ब) आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा लाटरी सम्पन्न होने के बाद जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किन्तु अगली 15 प्रतिशत धनराशि जमा होने से पूर्व, प्रथम जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि का 05 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- (स) आवंटन धनराशि जमा होने के बाद किन्तु कभी प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- (द) आवंटन के पश्चात् यदि फ्लैट का कभी हस्तगत हो गया है तो कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती के साथ—साथ फ्लैट के रिफण्ड प्रार्थना पत्र एवम् निरस्तीकरण आदेशों के जो भी तिथि पहली होगी तक देय किश्तों में से टूटती किश्तों में सम्मिलित ब्याज की धनराशि की कटौती उपरान्त यदि कोई धनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु शेष बचती है तो बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

13. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया—

निर्मित फ्लैट का आवंटन, दो या दो से अधिक किश्तों की दयेता पर निरस्त हो जाने पर, यदि आवेदक 'निर्मित फ्लैट के आवंटन को पुनर्जीवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से एक माह के अन्दर कराना चाहे तो फ्लैट के आवंटन की बहाली के दिनांक को लागू नियमों के दृष्टिगत फ्लैट की बहाली वर्तमान मूल्य पर की जायेगी।

14. मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना—

- 14.10 यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ—साथ फ्लैट का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले द्वा से वंचित

कर दिया जायेगा तथा आवंटन हो जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही आवेदन/आवंटन धनराशि को शत प्रतिशत जब्त करते हुए फ्लैट के मूल्य के विपरीत जमा की गयी अन्य धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

15. अन्य सूचनाएँ/शर्ते—

- 15.10 आवेदक का पता परिवर्तन होने पर पता परिवर्तन की सूचना सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को तत्काल देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
- 15.20 इस योजना के अन्तर्गत यदि आवंटित सम्पत्ति से सम्बद्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे। आवंटी एवं विकास प्राधिकरण के मध्य उत्पन्न विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी को मान्य होगा।
- 15.30 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तों में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

पंजीकरण दिनांक से तक,

प्रधानमन्त्री योजनान्तर्गत निर्मित प्लैट्स के पंजीकरण हेतु विवरण तालिका

क्र0 सं0	आवंटन हेतु शेष प्लैट्स की सं0	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	छूट की धनराशि के समायोजन पश्चात् शेष देय धनराशि (रुपये)	पंजीकरण धनराशि (रुपये)	देय आवंटन धनराशि (रुपये)	पंजीकरण धनराशि व आवंटन धनराक्ष के समायोजन पश्चात् शेष देय धनराशि की किश्तों का विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

शताब्दीनगर, सेक्टर-01 में प्रस्तावित प्लैट

1.	10	34.07	200000	5000	30000	प्लैट का शेष मूल्य 9.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 5 वर्ष की 20 समान तिमाही किश्तों में देय होगा। विलम्ब की दशा में 13 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।
----	----	-------	--------	------	-------	---

लोहियानगर में प्रस्तावित प्लैट

2.	08	34.07	200000	5000	30000	
----	----	-------	--------	------	-------	--

सराय काजी, गढ़ रोड़ में प्रस्तावित प्लैट

3.	76	34.07	200000	5000	30000	
----	----	-------	--------	------	-------	--

1. आवंटन हेतु प्रस्तावित प्लैटों के सम्बन्ध में प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.org.in पर विवरण देखा जा सकता है।

x-x-x-x

(आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र रूपये 10/- के जनरल स्टाम्प पर टंकित कराकर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।)

शपथ पत्र

समक्षः— उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

- यह कि मेरा नाम पुत्र है तथा
..... का निवासी हूँ तथा मेरी आयु लगभग वर्ष है। मैं शपथ पूर्वक निम्न शपथ लेता हूँ:-
- 1 यह कि मैंने मेरठ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति आवंटन सम्बन्धी नियमों, दशाओं एवम् विशेष सूचनाओं को स्पष्टतः समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ।
 - 2 यह कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी, अवयस्क बच्चों एवम् मुझ पर आश्रित सम्बन्धी ने पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र नहीं किया है और यदि पूर्व में पंजीकरण/आवेदन कराया है तो इस योजना के अन्तर्गत आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद पूर्व पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
 - 3 यह कि आवेदक एवं उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवयस्क बच्चों के पास) के नाम से पूरे भारतवर्ष में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, सहकारी समिति इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि इस तथ्य में आवेदन करते समय अथवा आवेदित सम्पत्ति के आवंटन उपरान्त असत्यता पायी जाती है तो पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने अथवा आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
 - 4 यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये हैं तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो मेरठ विकास प्राधिकरण उचित समझे।

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता।

यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 4 तक किया गया कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मद्द करें।

दिनांक :

प्रमाणित स्थान—

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता।

×-×-×-×

आवेदन पत्र संख्या
पंजीकरण दिनांक से तक
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत छूड़ा द्वारा चयनित लाभार्थियों के मध्य लाटरी पद्धति से आवंटन हेतु

पंजीकरण आवेदन—पत्र।

1— आवेदन किस पॉकेट की सम्पत्ति के लिये है—

(अ) योजना का नाम

आवेदक का

पास्पोर्ट साइज का

(ब) योजना का कोड

स्वहस्ताक्षरित चर्चा फोटो

2—आवेदक का नाम हिन्दी में

अंग्रेजी में

3— आवेदक की आयु वर्ष लिंग वैवाहिक स्तर

4— व्यवसाय

5— आवेदक के पिता/पति का नाम

6— पत्र व्यवहार का पूरा पता दूरभाष सहित

7— स्थायी पता दूरभाष सहित

8— आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता संख्या, आई0एफ0सी0 कोड बैंक का पूरा नाम

9— आवेदक का आधार कार्ड नम्बर.....

10— आवेदक का छूड़ा द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना हेतु चयनित लाभार्थी सूची का विवरण / ए०ए०पी० संख्या.....

11— पंजीकरण धनराशि का विवरण

12— यदि आरक्षित श्रेणी के हैं तो प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सहित विवरण दें

13— आवेदक को प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी पंजीकरण पुस्तिका का अध्ययन कर लिया गया है। पंजीकरण पुस्तिका में प्रकाशित नियम एवम् शर्त आवेदक को मान्य है जिनका पालन करने हेतु आवेदक एतद्वारा वचन देता है।

आवेदन की तिथि.....

आवेदक के हस्ताक्षर।

(सम्पत्ति अनुभाग की प्रति)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

दिनांक _____ आवेदन पत्र संख्या _____
योजना का नाम:- सेक्टर/पॉकेट
क्षेत्रफल ----- वर्ग मी0, भूखण्ड श्रेणी-----
आवेदक का नाम _____
पिता/पत्नी/पुत्री/श्री _____
पता:- _____

जमा धनराशि का विवरण

1—पंजीकरण धनराशि _____

नगद/ड्राफ्ट सं0 _____ दिनांक _____ धनराशि _____
बैंक का नाम _____
शब्दों में रूपये _____

आवेदक के हस्ताक्षर

(बैंक की प्रति)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

दिनांक _____ आवेदन पत्र संख्या _____

योजना का नाम:- सेक्टर / पॉकेट

क्षेत्रफल ----- वर्ग मी0, भूखण्ड श्रेणी-----

आवेदक का नाम-----

पिता / पत्नी / पुत्री / श्री-----

पता:-----

जमा धनराशि का विवरण

1—पंजीकरण धनराशि-----

नगद / ड्राफ्ट सं0 ----- दिनांक ----- धनराशि -----

बैंक का नाम-----

शब्दों में रूपये-----

आवेदक के हस्ताक्षर

(लेखानुभाग की प्रति)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

दिनांक----- आवेदन पत्र संख्या-----
योजना का नाम:- सेक्टर / पॉकेट
क्षेत्रफल ----- वर्ग मी0, भूखण्ड श्रेणी-----
आवेदक का नाम-----
पिता / पत्नी / पुत्री / श्री-----
पता:

जमा धनराशि का विवरण

1-पंजीकरण धनराशि-----
नगद / ड्राफ्ट सं0----- दिनांक----- धनराशि-----
बैंक का नाम-----
शब्दों में रूपये-----

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक की प्रति)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

दिनांक _____

आवेदन पत्र संख्या _____

योजना का नाम:- सेक्टर / पॉकेट

क्षेत्रफल ----- वर्ग मी0, भूखण्ड श्रेणी-----

आवेदक का नाम-----

पिता / पत्नी / पुत्री / श्री-----

पता:-----

जमा धनराशि का विवरण

1—पंजीकरण धनराशि-----

नगद / ड्राफ्ट सं0 ----- दिनांक ----- धनराशि -----

बैंक का नाम-----

शब्दों में रूपये-----

आवेदक के हस्ताक्षर